रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 693]	**नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 16, 2017/श्रावण 25, 1939**
No. 693]	**NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 16, 2017/ SRAVANA 25, 1939**

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2017

सा. का. नि. 1016(अ).—भारत सरकार, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन निषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण विनियम) अधिनियम , 2003 (2003 का 34) की धारा 7 की उप–धारा (1), धारा 8 की उप धारा (2), धारा 10 तथा धारा 31 दवारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियमावली, 2008 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः—

1. (1) इन नियमों को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) द्विवितीय संशोधन नियम, 2017 कहा जाएगा।

   (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2008 के नियम 5, उप–नियम (3) के परन्तुक में “विनिर्मित” शब्द के पश्चात “अथवा आयातित” शब्द जोड़ा जाएगा।

[फा. सं. पी 16012/10/2016–पीएच–I]

अरूण कुमार झा, आर्थिक सलाहकार

नोट : मुख्य नियम दिनांक 15 मार्च, 2008 की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 182(अ) के तहत भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–II, खंड 3, उप–खंड–(i) में प्रकाशित किए गए थें तथा तत्पश्चात दिनांक 29 सितंबर, 2008 की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 693(अ); दिनांक 28 नवंबर, 2008 की सं. का. आ. 2814(अ) दिनांक 3 मार्च, 2009 की सं. सा. का. नि. 305(अ); दिनांक 5 मार्च, 2010 की सं. सा.का.नि. 176(अ); दिनांक 17 मई, 2010 की सं. सा. का. नि. 411(अ); दिनांक 20 दिसंबर, 2010 की सं. सा. का. नि. 985(अ); दिनांक 27 मई, 2011 की सं. सा. का. नि. 417(अ); दिनांक 26 जुलाई, 2011 की सं. सा. का. नि. 570(अ); दिनांक 27 सितंबर, 2012 की सं. सा. का. नि. 724(अ); दिनांक 15 अक्तूबर, 2014 की सं. सा. का. नि. 727(अ); दिनांक 26 मार्च, 2015 की सं. सा. का. नि. 228(अ); दिनांक 24 सितंबर, 2015 की सं. सा. का. नि.739(अ) और दिनांक 24 मार्च, 2017 की सं. सा. का. नि. 292(अ) के तहत उनमें संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th August, 2017

G.S.R. 1016(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7, sub-section (2) of section 8, section 10 and section 31 of the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (34 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cigarettes and other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Rules, 2008, namely:—

1. (1) These rules may be called the Cigarettes and other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Second Amendment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cigarettes and other Tobacco Products (Packaging and Labeling) Rules, 2008, in rule 5, in sub-rule (3), in the proviso, after the word "manufactured" the words "or imported" shall be inserted.

[F. No. P 16012/10/2016-PH-I]

ARUN KUMAR JHA, Economic Adviser

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification numbers G.S.R. 182(E), dated the 15th March, 2008 and subsequently amended vide notification numbers G.S.R. 693(E), dated the 29th September, 2008, S.O. 2814(E), dated the 28th November, 2008; G.S.R. 305(E), dated the 3rd March, 2009, G.S.R. 176(E), dated the 5th March, 2010; G.S.R. 411(E), dated the 17th May, 2010; G.S.R. 985(E), dated the 20th December, 2010; G.S.R 417(E), dated the 27th May, 2011; G.S.R 570 (E), dated the 26th July, 2011; G.S.R. 724(E), dated the 27th September, 2012; G.S.R. 727(E), dated the 15th October, 2014; G.S.R. 228(E), dated the 26th March, 2015; G.S.R. 739(E), dated the 24th September, 2015 and G.S.R. 292(E), dated the 24th March, 2017.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.08.22 20:09:04 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.